सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 110 / प्रा0पत्र / 2024

दायरा दिनांक :—24.06.2024

GCMS ID—2024 / 139

1. सुजा आ0 जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी टरडक्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री भंवरलाल गुर्जर
वकील अप्रार्थी :— एकतरफा

दिनांक :— 26 / 05 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमिया खसरा संख्या 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 149, 150 कुल किता 11 कुल रकबा 3.5937 हैक्टेयर वाके ग्राम टरडक्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत है। उक्त भूमियों में प्रार्थी अपने पिता के जीवन काल में ही काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में से भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 0.3885 हैक्टेयर व खसरा संख्या 141 रकबा 0.3723 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.7608 मौके पर काबिज काश्त भूमि है, तथा अन्य भूमियों की भांति ही उक्त दोनों खसरा नम्बर की भूमियों में भी प्रार्थी काश्त कर रहा है, परन्तु राजस्व कर्मियों के द्वारा सहवनवश उक्त दोनों खसरा संख्या 140, 141 की किस्म के स्थान पर गे0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया है, उक्त गलत प्रविष्ठि के कारण प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की राजस्व अडचने आने लगी है, प्रार्थी खसरा संख्या 140, 141 गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण किसान क्रिडिट कार्ड प्राप्त करने सहित विभिन्न प्रकार की किसान हितेषी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। भूमि खसरा संख्या 140, 141 के राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने का कोई औचित्य भी नहीं है, बल्कि उक्त गलत प्रविष्टि के कारण प्रार्थी को नुकसान ही हो रहा है, उक्त प्रविष्टि को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

विलोपित कर भूमि की प्रकृति के अनुसार किस्म भूमि दर्ज किये जाने पर राज्य पक्ष को भी कोई नुकसान नहीं है। अक्त गलत प्रविष्टि को दुरूस्त किये जाने बाबत प्रार्थी के द्वारा राजस्व कर्मियों एवं अधिकारियों से निवेदन किया, परन्तु इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही पेश की जा रहा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि भूमि खसरा संख्या 140, 141 की किस्म भूमि गे0मु0 रास्ता को विलोपित करवाकर भूमि की वास्तविक प्रकृति के अनुसार किस्म दर्ज करवाये। उक्त प्रकार इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त भूमिया वाके ग्राम टरडक्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकारिता प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि भूमि खसरा संख्या 140, 141 किता 2 रकबा 0.7608 हैक्टेयर वाके ग्राम टरडक्या के राजस्व रिकॉर्ड में किस्म सम्बन्धी हो रही गलत प्रविष्टि गै0मु0 रास्ता को दुरूस्त कर विलोपित करने तथा भूमि की प्रकृति के अनुरूप किस्म दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/812 दिनांक :–21.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम टरडक्या की भूमि खसरा संख्या 140 व 141 प्रार्थी सुजा पुत्र जगन्नाथ की खातेदारी में दर्ज है जिनमे उक्त खसरा नम्बर की किस्म गै0मु0 रास्ता बारानी–4 दर्ज हो रही है व नक्शे में उक्त खसरा नम्बर पर डोट–डोट से रास्ता बना हुआ है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं व भूमि पर काश्त की जा रही है उक्त खसरा नम्बर की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर किस्म बारानी–4 किया जाना अपेक्षित है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 140 व 141 की किस्म गै0मु0रास्ता नहीं होकर बारानी–4 है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थीगण व जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। खसरा संख्या 140 व 141 की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज हो गयी है जिस पर मुताबिक रिपोर्ट मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं होना व भूमि पर काश्त किया जाना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र अनुसार अनुतोष दिया जाना अपेक्षित बताया गया है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम टरडक्या पटवार मण्डल टोंकडा के खाता संख्या 53 के खसरा संख्या 140 व 141 में दर्ज किस्म गै0मु0रास्ता बारानी–4 के स्थान पर उक्त खसरा नम्बरों की किस्म बारानी–4 शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 26.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

26/05/2025
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)